रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21, 1971/ श्रावण 30, 1893
No 148] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21, 1971/SRAVANA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

IndiaCode

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 1971

G.S.R. 1216.—Whereas in pursuance of clause (xv) of sub-section (3) of section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government has nominated Dr. K. P. Bhargava, as a member of the Central Insecticides Board (hereinafter referred to as the said Board);

And whereas in pursuance of clause (xv.) of sub-section (3) of Section 4 of the said Act, the Central Government has nominated Dr. S. K. Kashyap as a member of the said Board;

And whereas in pursuance of clause (xvii) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government has nominated Dr. V. N. Rao as a member of the said Board;

And whereas in pursuance of clause (xix) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government has nominated Drs. P. K. Dutta and H. L. Bami as members of the said Board;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture) No. G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely:—

In the said notification,—

(i) after item (xvi) and the entry relating thereto, the following items shall be inserted, namely:—

"(xvii) *Pharmacologist.*—Dr. K. P. Bhargava, Professor and Head of the Department of Pharmacology, K. G. Medical College, Lucknow.

(xviii) *Medical Texicologist.*—Dr. S. K. Kashyap, Senior Scientific Officer, Texicology Research Institute, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.;

(xix) *Incharge of the Department dealing with Public Health in a State.*—Dr. V. N. Rao, Director of Public, Health, Maharashtra, Poona.;

(xx) *Expert in Industrial Health and Occupational Hazards.*—Dr. P. K. Dutta, Associate Professor; Biochemistry and Nutrition, All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta.;

(xxi) Dr. H. L. Bami Director, General Forensic Science Laboratory, Ministry of Home Affairs, New Delhi.";

(ii) item (xvii) shall be re-numbered as item (xxii) thereof.

[No. F. 22-1/70-PPS(i).]

S. M. H. BURNEY, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

कृषि विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1971

सा० का० नि० 1216—यतः कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (XV) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने डा० के० पी० भार्गव को केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त बोड कहा गया है) के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया है ।

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (XVI) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने डा० एस० के० कश्यप को उक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया है ;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपधारा (3) के खण्ड (XVII) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने डा० बी० एन० राव को उक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया है ;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (XIX) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने डा० पी० के० दत्त और डा० एच० एल० बामी को उक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया है :

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसरण, में केन्द्रीय सरकार के खाद्य, कृषि सामुदायिकी विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना

सं० सा० का०नि० 301 तारीख 27 फरवरी, 1971 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में:—

(1) मद (XVI) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(XVII)औषध विज्ञानी

डा०के० पी०भार्गव, प्रोफेसर और अध्यक्ष, औषध विज्ञान, के० जी० मेडीकल कालेज, लखनऊ ।

(XVIII) चिकित्सा विष–विज्ञानी

डा०एस०के० कश्यप, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विष-विज्ञान अनुसंधान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

(XIX) किसी राज्य के लोक स्वास्थ्य से संबंधित विभाग के भारसाधक डा० बी०एन० राव, लोक स्वास्थ्य निदेशक, महाराष्ट्र, पूना:

(XX) औद्योगिक स्वास्थ्य और व्यवसायिकाजन्य परिसंकट विशेषज्ञ डा०पी०के० दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर, जीवरसायन और पोषण, आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता ।

(XXI) डा० एच०एल० वामी, निदेशक जनरल फौरेंसिक साइन्स लेबोरेटरी, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।"

(ii) मद (XVII) उसकी मद (XXII) के रूप में पुनः संख्याकित की जाएगी ।

[सं० 22–1/70–पी० पी०एस०]

सै०मु० हु० वर्मी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971